RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 09 / 2024

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण–
1. श्री हनुमानसिंह पुत्र अमराजी पुरोहित जाति पुरोहित, निवासी पुरोहितों का वास, सिवाना, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।		1. श्री ग्राम पंचायत सिवाना, पंचायत समिति सिवाना तहसील सिवाना, (वर्तमान नगर पालिका, सिवाना) 2. श्री मालसिंह पुत्र भूराजी 3. श्री पुखराज पुत्र भूराजी जातियान पुरोहित, निवासीयान पुरोहितों का वास सिवाना, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1953 विरूद्ध पट्टा संख्या 62 दिनांक 27.11.1974 जो अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के पिता भूराजी के नाम ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाशपुरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 स्वयं बावजुद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 26.11.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सिवाना (वर्तमान नगर पालिका) द्वारा अप्रार्थी संख्या 2, 3 के पिता के नाम जारी पट्टा संख्या 62 दिनांक 27.11.1974 के विरूद्ध दिनांक 08.10.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1953 के तहत मौजा सिवाना में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 62 दिनांक 27.11.1974 को जारी किया गया। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं

जिला कलक्टर
बालोतरा

किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.10.2024 को प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिवाना से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी के दादाजी अणदाजी के समय का पैतृक पुराना कब्जा सुदा भूखण्ड आया हुआ है, जो मौके पर 163 फिट गुणा 270 फिट का भूखण्ड आया हुआ था। अणदाजी के देहान्त के बाद अणदाजी के वारिसान प्रार्थी के पिताजी अमराजी, भूरजी व तेजाजी थे। उक्त भूखण्ड का बंटवाड़ा कर अलग अलग कब्जे में दे दिया था अर्थात 54.3 गुणा 270 फुट प्रत्येक भाई के हक में आया। उसी अनुरूप आज रोज भी काबिज है। पैतृक संपति के आधार पर प्रार्थी के भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा पट्टा संख्या 635 प्रार्थी स्वयं हनुमानसिंह पुत्र अमराजी तथा पट्टा संख्या 636 प्रार्थी के पुत्र चतरसिंह पुत्र हनुमानसिंह के नाम से सन 2019 में जारी किया गया, जो उपंजियन कार्यालय सिवाना द्वारा पंजीबद्ध करवाया गया। प्रार्थी के पिता अमराजी को जरिये पैतृक सम्पति भूखण्ड 54.3 गुणा 270 फिट भूखण्ड प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी के भाई भोपजी ने पुर्वी तरफ अपने हिस्से में पक्का मकान बनाया तथा बदिशा पश्चिम में शेष भूमि प्रार्थी का कब्जे स्वामित्व की कब्जासुदा है। हाल ही में उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा मौके पर आकर कब्जा स्वामित्व के भूखण्ड को हड़पने की नियत से मेरी कब्जा बाउन्ड्री तारबंदी को हटा कर जोर जबरन अवैध अतिक्रमण करने को आमादा हुये। तब प्रार्थी के पुत्र छतरसिंह द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पुलिस थाना सिवाना में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के व उनके परिवार के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें दौराने जांच ये तथ्य सामने आया की अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता भूराजी के नाम से एक फर्जी पट्टा सन 1974 का जारी करवाया है। फर्जी पट्टा की जांच करवाने हेतु वर्तमान नगर पालिका सिवाना से सुचना अधिकार अधिनियम के तहत उक्त फर्जी पट्टे व मिसल की मांग की गई तब जानकारी में आई कि उक्त फर्जी पट्टा संबंधित मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उक्त आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 ने पंचायतीराज अधिनियम के किस नियम के तहत जारी होना का कोई उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 145 से 149 तक किसी भी तरह से पालना नहीं करते हुए आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा स्वामित्व का पैतृक एवं बाउन्ड्रीसुदा है, जिसको हड़पने की नियत से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पूर्वज द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत से मिलीभगत करते हुए अवैध, अनुचित, अवैधानिक तौर पर फर्जी पट्टा तैयार करवाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पुर्वज के नाम आलोच्य पट्टा संख्या 62 को जारी करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस तामिल प्राप्त हुए, लिहाजा अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को सुनवाई हेतु अनेक अवसर दिये गये। दौराने बहस अनेक अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने पत्रावली में प्रार्थी के अधिवकता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की मुख्य आपति हैं कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी का पैतृक एवं संयुक्त स्वामित्व का है एवं प्रार्थी के हिस्से में आया पैतृक भूखण्ड पर अप्रार्थीगण के पिता भुराजी पुत्र अणदा जी के नाम फर्जी तौर पर पट्टा जारी किया गया। इस हेतु प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.10.2024 को ग्राम पंचायत सिवाना की ओर से जारी आलौच्य पट्टा विलेख संख्या 62 दिनांक 27.11.1974 के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिवाना से मूल अभिलेख तलब करने पर कार्यालय ग्राम पंचायत सिवाना के पत्रांक पंसासि/पट्टा/2025/4008 दिनांक 10.03.2025 पेश कर ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अवगत कराया कि उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 62 दिनांक 27.11.1974 के संबंधित मूल अभिलेख ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना, बताया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी के पुर्वज से प्राप्त प्रार्थी के हिस्से में आई पैतृक सम्पति भूखण्ड पर पट्टा संख्या 636 दिनांक 05.012.2019 छतरसिंह पुत्र हनुमानसिंह एवं पट्टा संख्या 635 दिनांक 05.12.2019 हनुमानसिंह पुत्र अमराजी के नाम ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी किया गया है एवं उक्त जारी पट्टे के भूखण्ड पर अप्रार्थीगण के पिता भुराजी पुत्र अणदाजी के नाम आलोच्य पट्टा संख्या 62 दिनांक 27.11.1974 ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा फर्जी पट्टा जारी किया गया है। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें पट्टा संख्या 636 दिनांक 05.012.2019 छतरसिंह पुत्र हनुमानसिंह एवं पट्टा संख्या 635 दिनांक 05.12.2019 हनुमानसिंह पुत्र अमराजी के नाम ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी होना बताया गया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आलोच्य पट्टा संख्या 62 दिनांक 27.11.1974 की प्रतिलिपि अस्पष्ट होने से तथा मूल अभिलेख के अभाव में इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि पट्टा संख्या 62 दिनांक 27.11.1974 एवं पट्टा संख्या 635, 636 एक ही भूखण्ड पर जारी किया गया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य भुखण्ड के संबंध में स्वामित्व की पुष्टि एवं संयुक्त पैतृक संपति हेतु तथा एक ही परिवार के सदस्य होने के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी के स्वामित्व एवं संयुक्त पैतृक संपति का है। इसके अलावा साथ ही जहां तक प्रार्थी का कथन हैं कि उक्त विवादित भूखण्ड पैतृक एवं संयुक्त स्वामित्व का है तो इसके समर्थन मे प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हों कि भूखण्ड पैतृक स्वामित्व का हैं। इस प्रकार दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिकथनों से यह कतई साबित नही हो रहा है कि आलौच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड पर स्वामित्व व कब्जा किस पक्षकार का है। इस प्रकार आलोच्य पटटा संख्या 62 दिनांक 27.11.1974 को जारी किया है, निरस्त करते हुए रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत प्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2, 3 के के पिता के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 62 दिनांक 27.11.1974 को निरस्त करते हुए प्रकरण विकास अधिकारी, सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के स्वामित्व एवं कब्जा दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करते हुए एवं उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम मे विहित प्रावधानो के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा
सत्यमेव जयते